फाईनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

इजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

1. महेश कुमार पुत्र पालीराम जाति महाजन निवासी निवासी एल 141 शास्त्री नगर दिल्ली।

वादी

बनाम

1. उगन्ती देवी पत्नि जानकी वल्लभ जाति ब्रह्मण निवासी धाटा बालाजी तहसील टोडाभीम।
2. विनित गोयल पुत्र रधुनन्दन प्रसाद जाति महाजन निवासी शाहदरा दिल्ली–32 प्रधान श्री बालाजी जन सेवा समिति दिल्ली।
3. तहसीलदार टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा वावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा — मु0न0. 49 सन 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट व हाजरी श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू.हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री दी जाती है। कि

प्राप्त बटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री किया जाता है। ग्राम गहरौली स्थित भूमि ख0न0 58/1 रकवा 0.0343 है0 का वादी महेश कुमार पुत्र पालीराम जाति अग्रवाल निवासी एल–141 शास्त्रीनगर दिल्ली–52, ख0न0 58/2 रकवा 0.686 है0 का प्रतिवादी न0 1 उगन्ती देवी पत्नि जानकी वल्लभ जाति ब्राहामण निवासी घाटा बालाजी तहसील टोडाभीम एवं ख0न0 58 रकवा 0.5371 है0 का विनित गोयल पुत्र रधुनन्दन प्रसाद जाति महाजन निवासी शाहदरा दिल्ली–32 प्रधान जन सेवा समिति दिल्ली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी।

निज......—......मुबलिंग............—......बाबत.................—खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह......—......फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30.05.2019 को जारी की गई।

(मुहर: जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) राज.)

दस्तखत...... उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) (हस्ताक्षर, 30/5/19)

ओहदा...............................

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

नोट दिनांक 13.6.19 – डिक्री की लाईन संख्या 6 में प्रधान व जनसेवा के मध्य श्री बालाजी पढ़ा जावे।

(हस्ताक्षर) उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 49/18 तारीख रजू:– 27.04.2018

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद आर.ए.एस.

उनवान

1. महेश कुमार पुत्र पालीराम जाति महाजन निवासी निवासी एल 141 शास्त्री नगर दिल्ली।

वादी

बनाम

1. उगन्ती देवी पत्नि जानकी वल्लभ जाति ब्रह्मण निवासी धाटा बालाजी तहसील टोडाभीम।
2. विनित गोयल पुत्र रधुनन्दन प्रसाद जाति महाजन निवासी शाहदरा दिल्ली–32 प्रधान श्री बालाजी जन सेवा समिति दिल्ली।
3. तहसीलदार टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा वावत तकास्मा

उपस्थिति:– श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट (वादी)

श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट (प्रतिवादी न0 1)

निर्णय दिनांक:– 30.05.2019

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि आराजी ख0न0 58 रकवा 0.64 है0 स्थित ग्राम गहरौली मे वादी वहिस्सा 3/56 का खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से के प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादी न0 1 व 2 ने मौके पर वहामी बटवारा कर रखा है। वादी अपने हिस्से पर काबिज है और एक धर्मशाला बना रखी है जिसका नाम बालाजीधाम विश्राम भवन है। प्रतिवादी न0 1 अपने हिस्से 3/28 पर काबिज है इन्होने अपने हिस्से मे एक धर्मशाला विश्राम भवन के नाम से बना रखी है। प्रतिवादी न0 2 ने अपने हिस्से 21/28 मे एक धर्मशाला सेवा कुंज के नाम से बना रखी है। विधिवत बटवारा न होने के कारण भूमि का संपरिवर्तन नही हो पा रहा है। प्रतिवादी न0 1 व 2 के इन्कार करने के कारण वादपत्र पेश करना आवश्यक हो गया है। हाल जमाबन्दी मे दर्ज खातेदार रधुनन्दन प्रसाद के देहान्त हो जाने के कारण उनके कायम मुकाम कानूनी वारिस विनित गोयल को पक्षकार बनाया है। अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी वावत तकास्मा प्राथमिक डिक्री किया जाकर बटवारा स्कीम तलब कर फाईनल डिक्री फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादी न0 2 स्वंय उपस्थित हुआ प्रतिवादी न0 3 वावजूद सूचना उपस्थित नही हुआ, प्रतिवादी न0 1 की और से श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया प्रतिवादी न0 2 बाद मे उपस्थित नही हुए। इस प्रकार प्रतिवादी न0 2 व 3 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी न0 1 ने जबाब एवं काउन्टर क्लेम पेश किया कि आराजी ख0न0 58 रकबा 0.64 है0 मे 3/28 का खातेदार है। सूर्या विश्राम गृह के नाम से मेरे हिस्से मे धर्मशाला बना रखी है। मौके पर सहखातेदारान के मध्य बटवारा हो रहा है। मेरे हिस्से की भूमि का बटवारा स्कीम मगाकर पृथक खाता कायम फरमाया जावे।

यह दावा मय काउन्टर क्लेम प्रतिवादी न0 1 दिनांक 29.01.2019 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार टोडाभीम की और से बटवारा स्कीम का वकील उभयपक्ष ने अवलोकन कर बटवारा स्कीम को स्वीकार करते हुए मुताबिक बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिक्री किए जाने का कथन कर सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किए।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनकर तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री किया जाता है। ग्राम गहरौली स्थित भूमि ख0न0 58/1 रकवा 0.0343 है0 का वादी महेश कुमार पुत्र पालीराम जाति अग्रवाल निवासी एल–141 शास्त्रीनगर दिल्ली–52, ख0न0 58/2 रकवा 0.686 है0 का प्रतिवादी न0 1 उगन्ती देवी पत्नि जानकी वल्लभ जाति ब्राहामण निवासी घाटा बालाजी तहसील टोडाभीम एवं ख0न0 58 रकवा 0.5371 है0 का विनित गोयल पुत्र रधुनन्दन प्रसाद जाति महाजन निवासी शाहदरा दिल्ली–32 प्रधान जन सेवा समिति दिल्ली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

30/5/19

(दुर्गा प्रसाद मीणा)
उपजिला कलक्टर
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

नोट - दिनांक 13.6.19 - निर्णय के पृष्ठ संख्या 2 की लाईन संख्या 16 में प्रधान व जन सेवा के मध्य श्री बालाजी भी पढा जावे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)